रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 30, 1983 (श्रावण 8, 1905)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 30, 1983 (SRAVANA 8, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	531
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1033
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	23
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1237
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1637
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	3057
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	369
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	13647
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	485
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	131
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2703
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	127
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	531
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1033
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	23
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1237
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1637
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	3057
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	369
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	13647
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	485
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	131
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1703
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	127
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1983

सं० 52-प्रेज/83—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रमेश दत्तात्रेय घोसालकर,
निशस्त्र हैड कान्स्टेबल बी० सं० 973,
जिला रायगढ़, महाराष्ट्र ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

13 फरवरी, 1982 को श्री एस० ए० खोपड़े, पुलिस उप अधीक्षक को सूचना मिली कि श्री शिवराम बुध्या भगत और श्री बलराम बुध्या, दोनों भाई गांव धनसर तालुक पेनवेल जिला रायगढ़ के खतरनाक अपराधी, जिन्होंने पनवेल तालुक के पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में आतंक और भय उत्पन्न कर रखा था, हाजी मलंग पहाड़ियों की तलहटी पर एक झोपड़ी में शरण लिए हुए थे। 14 फरवरी, 1982 को श्री खोपड़े ने श्री बी० बाई० भगले, उप पुलिस निरीक्षक, श्री रमेश दत्तात्रेय घोसालकर, हैड कान्स्टेबल, विशेष आरक्षी पुलिस बल के एक भाग, दो कान्स्टेबल और सार्वजनिक तीन पंचों के साथ छापा मारने की योजना बनायी। श्री खोपड़े ने पुलिस दल को दो दलों में विभाजित किया जिनमें से एक दल का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया। 14 फरवरी, 1982 को वे श्री आर० डी० घोसालकर, हैड कांस्टेबल और विशेष आरक्षी पुलिस बल के दो कांस्टेबलों के साथ जो 303 राईफल से लैस थे, झोपड़ी पर पहुंचे। भगोड़ा बलराम हाथ में अपनी एस० बी० बी० एल० गन लेकर झोपड़ी से बाहर आया। उसने शोर किया और अपनी बन्दूक से पुलिस दल पर गोली चलायी। तथापि श्री घोसालकर, हैड कांस्टेबल ने अत्यधिक साहस और सूझबूझ का परिचय दिया और जब बलराम इसे दोबारा भर रहा था तो उन्होंने उसकी बन्दूक को पकड़ लिया। बन्दूक से गोली चल पड़ी जिससे हैड कांस्टेबल आर० डी० घोसालकर और एक पंच गवाह उत्तम गोवारी जख्मी हो गए। श्री आर० डी० घोसालकर ने बन्दूक छीन ली और बन्दूक की मूठ बलराम के सिर पर दे मारी, जिसके परिणामस्वरूप बलराम गिर पड़ा। दूसरा भाई शिवराम शोर सुनने पर झोपड़ी से बाहर आया और अपनी डबल बैरल 12 बोर गन से पुलिस दल पर फौरन गोली चलाने लगा। उसके गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप श्री खोपड़े और श्री घोसालकर बुरी तरह जख्मी हो गए। श्री खोपड़े ने अपनी रिवाल्वर से गोली का जवाब देने की कोशिश की लेकिन घायल होने के कारण वे गोली नहीं चला सके। जब शिवराम अपने भाई को श्री घोसालकर के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, श्री खोपड़े ने एस० आर० पी० एफ० कांस्टेबल के० एन० गोसावी को गोली चलाने का आदेश दिया। शिवराम घटनास्थल पर ही मारा गया और उसका भाई बलराम मुठभेड़ में घायल होने के कारण बाद में मर गया।

श्री रमेश दत्तात्रेय घोसालकर, हैड कांस्टेबल ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि का कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 फरवरी, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 53-प्रेज/83—राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रमाला येशू रतनम,
सशस्त्र रिजर्व हैड कांस्टेबल सं० 937,
वारांगल, आंध्र प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

श्री बदा जगन मोहन रेड्डी जो अनन्तसागर के सरपंच चुने गए थे, की सुरक्षा के लिए एक गन-मैन श्री प्रमाला येशू रतनम, हैड कांस्टेबल सं० 937 की व्यवस्था की गई थी। 10 जून, 1982 को प्रातः श्री बी० जे० मोहन रेड्डी गन-मैन के साथ, अपने स्कूटर पर हनमकोन्डा आ रहे थे। लगभग 7 बजे जब वे गांव के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो उन पर श्री नक्का मोहन और आर० बाई० एल० सी० ओ० सी० के 20 अन्य व्यक्तियों ने, जो झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे, बम्ब और देसी पिस्तौलों से घात लगाकर आक्रमण किया। श्री प्रमाला येशू रतनम ने श्री रेड्डी से वाहन रोकने के लिए कहा और वे गाड़ी से नीचे उतरे। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए श्री रतनम ने श्री रेड्डी को बचाने के लिए हमलावरों पर अपनी रिवाल्वर से गोली चलायी और 20 से अधिक हमलावरों के हमले का सामना किया। जब एक हमलावर श्री रेड्डी पर अपनी शार्ट गन से गोली चलाने वाला था तो श्री रतनम ने उस पर गोली दागी जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया। हमलावर घायल व्यक्ति को उठाकर भाग गए। उसके बाद श्री रतनम ने ग्रामीणों को एकत्र किया और हमलावरों का पीछा किया लेकिन उनका पता न लगा सके। इस हमले में श्री रेड्डी और श्री रतनम दोनों बम के टुकड़ों से जख्मी हुए।

इस प्रकार श्री प्रमाल येशू रतनम, हैड कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 जून, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 54-प्रेज/83—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राजपाल सिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक प्रभारी,
थाना अलीगंज,
जिला एटा, उत्तर प्रदेश ।

श्री कांता प्रसाद पाण्डे, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना अलीगंज,
जिला एटा, उत्तर प्रदेश

श्री छोटे लाल, (मरणोपरान्त)
कास्टेबल नं० 217,
सिविल पुलिस,
थाना अलीगंज,
जिला एटा, उत्तर प्रदेश ।

श्री जगदीश प्रसाद, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 605,
सिविल पुलिस,
थाना अलीगंज,
जिला एटा, उत्तर प्रदेश ।

श्री भीकम सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 243, सिविल पुलिस,
थाना अलीगंज,
जिला एटा, उत्तर प्रदेश ।

श्री अमर सिंह, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल सं० 21031 पी० ए० सी०,
15वीं बटालियन, पी० ए० सी०,
आगरा ।

श्री लाला राम, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल सं० 21544 पी० ए० सी०,
15वीं बटालियन० पी० ए० सी०, आगरा ।

श्री प्रेम नारायण गौतम, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल स० 2165०, पी०ए०सी०,
15वीं बटालियन, पी०ए०सी०, आगरा ।

श्री बास देव, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 21156, पी० ए० सी०,
15वीं बटालियन, पी० ए० सी०,
आगरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किए गए ।

7 अगस्त, 1981 को श्री राजपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, डकैती के एक मामले की जांच-पड़ताल के संबंध में गांव सराय अघाट गए । उन्हें घटनास्थल पर सूचना मिली कि चार कुख्यात गिरोहों के सदस्य गांव प्रधानपुर में इकट्ठे हुए हैं और डकैती की योजना बना रहे हैं । हालांकि उनके पास एक छोटा आरक्षी दल था, फिर भी उन्होंने मौके पर जाने और डाकुओं का मुकाबला करने के संबंध में निर्णय करने में कोई देरी नहीं की, जिससे कि वे बचकर भाग न निकलें ।

लगभग 1400 बजे जब श्री कांता प्रसाद पाण्डे, उप निरीक्षक, और छोटे लाल, कांस्टेबल, श्री जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल, श्री भीकम सिंह, कांस्टेबल, श्री अमर सिंह, हैड कांस्टेबल, पी० ए० सी०, श्री लाला राम, हैड कांस्टेबल, पी० ए० सी०, श्री प्रेम नारायण गौतम और श्री बास देव, कांस्टेबल, पी० ए० सी० का पुलिस बल एक ऐसे स्थान पर आया, जो मद्राला और प्रधानपुर के बीच था, तो उन्हें संख्या में 40–45 डाकू गांव से बाहर आते हुए दिखाई दिए । श्री राजपाल सिंह ने डाकुओं को ललकारा, जिन्होंने तुरन्त भारी गोलीबारी से उत्तर दिया । गिरोह ने पुलिस बल को दूर रखने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलीबारी करने की अपनी गति बढ़ा दी । आधुनिक हथियारों से लैस अधिक संख्या में डाकुओं की भारी गोलीबारी से अविचलित श्री राजपाल सिंह, निरीक्षक, उनका पीछा करते रहे । डाकू यह देखकर कि उनका दृढ़ता के साथ पीछा किया जा रहा है, शरण लेने के लिए नगला परम की ओर भागे । श्री राजपाल सिंह, निरीक्षक ने श्री कांता प्रसाद पाण्डे, उप-निरीक्षक को निर्देश दिया कि वह अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ गांव नथुवापुर में ऊंचे किसी छत पर मोर्चा संभाले, जहां से पुलिस दल भागते हुए डाकुओं पर जम कर गोली चला सके । पुलिस दल और डाकुओं के गिरोह के बीच फासला बढ़ने के कारण श्री राजपाल सिंह, निरीक्षक, ने छत से उतर कर नीचे आने और आगे बढ़ने का निर्णय दिया । श्री कांता प्रसाद पाण्डे, श्री छोटे लाल, श्री जगदीश प्रसाद, श्री भीकम सिंह, श्री अमर सिंह, श्री लाला राम, श्री प्रेम नारायण गौतम और श्री बास देव सहित पुलिस बल से जैसे ही श्री मिट्ठू का बगीचा पार किया, उन्हें डाकुओं की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जो पास में घात लगाए हुए थे । गोलियों के इस आदान प्रदान में पी० ए० सी० के कास्टेबल राकेश कुमार मुठभेड़ के शुरू में एक गोली लगने से जख्मी हो गए और उन्हें चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया । श्री राजपाल सिंह, निरीक्षक ने अपने जवानों को एक बार फिर प्रोत्साहित किया और वे पुनः पीछा करने की कार्रवाई में लग गए । उन्होंने उप-निरीक्षकों और कांस्टेबलों के एक दल को दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ने का निर्देश दिया और स्वयं थोड़े से बहादुर जवानों के साथ रेंग कर आगे बढ़े और ऊंची घास की आड़ लेकर मोर्चा संभाला । इस मोर्चे से पुलिस की गोलीबारी इतनी प्रभावकारी सिद्ध हुई कि तीन डाकू घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि चौथा डाकू जख्मी हो गया । यह जानकर कि पीछे हटने से अधिक व्यक्ति मारे जाएंगे, डाकुओं ने गोलीबारी की गति तेज कर दी । उन्होंने भीषण हमला किया और सभी प्रकार के आधुनिक हथियारों से एक साथ गोलियां चलाईं । यह दुर्भाग्य था, कि डाकुओं के एक वर्ग ने थोड़ी ऊंची जमीन पर लाभकारी आड़ ले ली जहां से वे पुलिस बल को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए बिना पुलिस को देख सकते थे । डाकुओं ने इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाया और अंतिम निर्णायक लड़ाई शुरू की । इस साहसी मुठभेड़ में श्री राजपाल सिंह, निरीक्षक, के नेतृत्व में समस्त पुलिस बल, जिसमें 8 अन्य अधिकारी और जवान थे, घटना स्थल पर वीरगति को प्राप्त हुए ।

डाकुओं के साथ मुठभेड़ में श्री राजपाल सिंह, निरीक्षक, श्री कांता प्रसाद पाण्डे, उप-निरीक्षक, श्री छोटे लाल, कांस्टेबल, श्री जगदीश प्रसाद, कास्टेबल, श्री भीकम सिंह, कास्टेबल, श्री अमर सिंह, हैड कास्टेबल पी० ए० सी०, श्री लाला राम, हैड कांस्टेबल, पी० ए० सी०, श्री प्रेम नारायण गौतम, कांस्टेबल, पी० ए० सी० और श्री बास देव, कास्टेबल पी० ए० सी० ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 अगस्त, 1981 से दिया जाएगा ।

सं० 55/प्रेज/83—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी के नाम तथा पद

श्री ध्रुवलाल यादव,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना अधिकारी कल्पी,
जिला जालौन, उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

31 मार्च, 1981 को श्री ध्रुव लाल यादव, थाना अधिकारी, कल्पी को गांव गुरौली, पो० एस० कल्पी, जिला जालौन में मातादीन के मकान में डाकुओं के एक गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली । उन्होंने तुरन्त पुलिस और पी० ए० सी० बल एकत्र किया और घटनास्थल पर पहुंचे । उन्होंने सारे बल को तीन दलों में विभाजित किया और डाकुओं की उपस्थिति के बारे में पुष्टि करने के बाद मातादीन के मकान का घेर लिया । उन्होंने डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उसका उत्तर डाकुओं ने भारी गोली बारी करके दिया । श्री ध्रुव लाल यादव अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए रेंगकर आगे बढ़े और उस स्थान के बहुत नजदीक पहुंच गए जहां से डाकू गोली चला रहे थे, और डाकुओं पर भारी गोली बारी शुरू कर दी । डाकू भी गोलियां चलाते रहे

और उन्होंने मकान की दूसरी ओर से कूद कर भागने का प्रयास किया। श्री ध्रुव लाल यादव भी शीघ्रता से कूद गए और अत्यधिक साहसी तथा सुनियोजित ढंग से डाकुओं पर आक्रमण करने में कोई समय नहीं गवाया। वह डाकुओं की ओर से भारी गोलीबारी का सामना करते हुए मकान में सभी तीन डाकुओं को गोली मार कर मौत के घाट उतारने में सफल हुए। मारे गए डाकुओं का बाद में पता चला कि उनके नाम (1) सोबरन सिंह, (2) लटेट्ट धोबी और (3) राम शंकर है।

श्री ध्रुव लाल यादव को गांव गुलोली में श्री बोरा के मकान में फूलन देवी/मान सिंह के गिरोह के शेष भाग की उपस्थिति के बारे में भी और सूचना मिली। उन्होंने यह सूचना श्री उमा शंकर बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक, जालौन को तुरन्त भेजी और किसी डाकू को बचकर भागने से रोकने के उद्देश्य से बहुत सामरिक तरीके से गांव गुलोली को घेरे रखा। उन्होंने श्री बाजपेयी तथा कुमुक के वहां पहुंचने तक अपने नेतृत्व में यह घेराव जारी रखा। श्री ध्रुव लाल यादव श्री बाजपेयी के मुख्य छापामार दल के साथ थे और उन्होंने श्री बाजपेयी के साथ श्री बोरा के मकान में प्रवेश किया। वह अपने साथी अधिकारियों के जख्मी होने के बाद भी नहीं घबराए और उन्होंने बहुत साहस तथा बहादुरी से कार्य किया। वह श्री बाजपेयी के साथ मकान की छत पर चढ़ गए और मकान के उस दरवाजे पर गोलीबारी का निरन्तर दबाव रखा जहां से डाकू गोलियां चला रहे थे। भारी गोली बारी के परिणामस्वरूप दो डाकू नामतः प्रिंस और जगन मारे गए।

डाकुओं के साथ मुठभेड़ में श्री ध्रुव लाल यादव ने उत्कृष्ट वीरता अदम्य साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 मार्च, 1981 से दिया जाएगा।

सं० 56 प्रेज/83—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रुआलछिंगा
पुलिस उप-निरीक्षक
थाना होनथियाल
जिला . लुंगलेई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

11 नवम्बर, 1982 को पुलिस उप निरीक्षक श्री रुआलछिंगा को सूचना मिली कि दो सशस्त्र विरोधी (मिजो राष्ट्रीय मोर्चा) रोटलैण्ड हमुन्टे/मुआलथुआम गांव के सामान्य क्षेत्र में छिपे हैं। उन्हें प्युपिल्स कांफ्रेंस पार्टी के नेताओं और विशेषतः एम० एल० एम० तथा डी० सी० सदस्य आदि, जिन्हें अवैध घोषित एम० एन० एफ० डाके के एस० एस० वाइस प्रेजिडेंट जोरामथुंगा द्वारा अपने पदों से त्यागपत्र देने का निर्देश दिया गया था, पर विवट नोटिस तामील करने का कार्य सौंपा गया था। उप-निरीक्षक श्री रुआलछिंगा ने एक छापामार दल को संगठित किया और गांव मुआल्थुआ, जहां दो विद्रोही छिपे थे, की ओर प्रस्थान किया। विरोधियों ने पुलिस दल का उस स्थान की ओर आते हुए देखकर, जहां वे छिपे थे सामरिक महत्व के स्थान पर मोर्चा संभाला और पुलिस दल पर गोली चलाई। श्री रुआलछिंगा और पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने सुरक्षात्मक मोर्चा संभाला और आत्म रक्षा तथा मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के विरोधियों को पकड़ने के प्रयास में गोलियां चलाई। कुछ मिनटों तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। श्री रुआलछिंगा और दल रेंगकर तथा रक्षात्मक तरीके से विरोधियों के नजदीक आते रहे। जब वे बहुत नजदीक आ गए, तो श्री रुआलछिंगा और पुलिस ने उस समय विरोधियों पर धावा बोल दिया, जब वे पुलिस दल पर गोली चलाने के लिए अपनी बन्दूकों को फिर से भर रहे थे। श्री रुआलछिंगा विरोधी एस० एम० सैकेंड ले० हमुन्जरंगा पर झपट पड़े और उसे निहत्था कर दिया। इस बीच पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने उक्त विरोधी को पूरी तरह काबू में कर लिया। दूसरा विरोधी पुलिस दल के अचानक आक्रमण के कारण धैर्य खो बैठा और घटनास्थल पर अपनी 303 राइफल छोड़कर घने जंगल की ओर बचकर भाग गया।

मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के विरोधियों के साथ मुठभेड़ में उप निरीक्षक श्री रुआलछिंगा ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 नवम्बर 1982 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1983

संकल्प

सं० ई०-11011/3/83-हिन्दी—भूतपूर्व नागरिक पूर्ति मंत्रालय के संकल्प संख्या ई०-11011/23/80-हिन्दी, दिनांक 3 अगस्त, 1981 तथा उसके बाद जारी किए गए सभी संकल्पों का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय किया है। नई समिति के सदस्य और उसके कार्य इस प्रकार होंगे :—

1. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	अध्यक्ष
लोक सभा सदस्य	
2. श्री दया राम शाक्य, संसद सदस्य	सदस्य
3. श्री राम कुमार मीना, संसद सदस्य	,,
राज्य सभा सदस्य	
4. श्री जे० के० जैन, संसद सदस्य	,,
5. श्री सुशील चन्द मोहन्ता, संसद सदस्य	,,
संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि	
6. राजभाषा विभाग द्वारा नामित	,,
7. किए जाने हैं	,,
स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि	
8. श्रीमती इन्दुजा अवस्थी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय	,,
9. श्रीमती मृदुला गर्ग, सी-119 सफदरजंग द० एरिया नई दिल्ली	,,
10. श्री हिमांशु जोशी, पत्रकार, साप्ताहिक हिन्दुस्तान	,,
11. श्री कन्हैया लाल "नन्दन", सम्पादक दिनमान	,,
12. श्रीमती मनुहरि पाठक, पत्रकार "नवज्योति"	,,
13. श्री नारायण सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ	,,
14. श्री एम० के० वेलायुधन नायर, सचिव केरल हिन्दी प्रचार सभा	,,
15. अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली।	,,
अधिकारी	
16. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	,,
17. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	,,

खाद्य विभाग के अधिकारी

18.	सचिव, खाद्य विभाग	सदस्य
19.	अपर सचिव, खाद्य विभाग	,,
20.	मुख्य निदेशक, शर्करा निदेशालय	,,
21.	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम	,,
22.	प्रबन्ध निदेशक, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन	,,
23.	प्रबन्ध निदेशक, मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इ०) लि०	,,
24.	संयुक्त सचिव (हिन्दी के प्रभारी), खाद्य विभाग	सदस्य-सचिव

नागरिक पूर्ति विभाग के अधिकारी

25.	सचिव, नागरिक पूर्ति विभाग	सदस्य
26.	संयुक्त सचिव (हिन्दी के प्रभारी), नागरिक पूर्ति विभाग	,,
27.	महा प्रबन्धक, सुपर बाजार, कनाट सर्कस	,,
28.	मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय	,,
29.	प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ	,,
30.	महा प्रबन्धक, भारतीय मानक संस्था	,,
31.	संयुक्त सचिव, बाट तथा माप के प्रभारी, नागरिक पूर्ति विभाग	,,

2. समिति के कार्य

इस समिति के कार्य खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ढांचे के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा ।

3. कार्यकाल

इस समिति का कार्य-काल भूतपूर्व नागरिक पूर्ति मंत्रालय के (अब नागरिक पूर्ति विभाग) संकल्प संख्या ई-11011/23/80-हिन्दी तारीख 3-8-1981 में उल्लिखित अवधि तक ही रहेगा जोकि निम्नलिखित बातों पर आधारित होगा :—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे ।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं ।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा ।

4. सामान्य

1. समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है ।

2 समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है ।

5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति तथा उप समितियों की बैठकों में समय-समय पर भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निश्चित दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, नियंत्रक, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

एच० डी० बंसल, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th July 1983

No. 52-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ramesh Dattatraya Ghosalkar,
Unarmed Head Constable B. No. 973,
District Raigad,
Maharashtra.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 13th February, 1982 Shri S. A. Khopade, Deputy Superintendent of Police received information that Shri Shivram Budhya Bhagat and Shri Balaram Budhya both brothers of village Dhansar, Taluka Panvel, District Raigad, dangerous outlaws who had caused a reign of terror and panic in the hilly Adivasi area of Panvel Taluka, were taking shelter in a hut at the foot of Haji Malang hills. On the 14th February, 1982 Shri Khopade arranged a raid with the assistance of Shri B. Y. Bhangale, Sub-Inspector of Police, Shri Ramesh Dattatraya Ghosalkar, Head Constable, one section of SRPF, two constables and three Panches of the public. Shri Khopade divided the police party into two groups and himself led one group. On the 14th February, 1982 he reached the hut alongwith Shri Ramesh Dattatraya Ghosalkar, Head Constable and two SRPF Constables who were armed with .303 rifle. Absconding Balaram came out of the hut with his SBBL gun in his hand. He raised an alarm and fired his gun towards the police party. However, Shri Ramesh Dattatraya Ghosalkar, Head Constable showed great courage and presence of mind and caught hold of the gun while Balaram was reloading it. The gun went off injuring both Head Constable Ghosalkar and one Panch witness Uttam Gowari. However, Shri Ramesh Dattatraya Ghosalkar snatched the gun and hit Balaram in the head with the butt of the gun as a result of which Balaram fell down. The other brother Shivram hearing the noise came out of the hut and started firing at the police party rapidly with his double barrel 12 bore gun. As a result of his firing Shri Khopade and Shri Ghosalkar were injured badly. Shri Khopade tried to return the fire by firing his revolver but he could not do so due to injuries. At that time Shivram was trying to release his brother from the clutches of Shri Ghosalkar when Shri Khopade ordered SRPF Constable K. N. Gosavi to open fire. Shri Shivram was killed on the spot while his brother Balaram died subsequently as a result of the injuries received by him in the encounter.

Shri Ramesh Dattatraya Ghosalkar, Head Constable, thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and subsequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th February, 1982.

No. 53-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Anhdra Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Pramala Yesu Ratnam,
Armed Reserve Head Constable No. 937,
Warangal,
Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Banda Jagan Mohan Reddy who was elected Sarpanch, Anantanagar, was provided with a gun-man Shri Pramala Yesu Ratnam, Head Constable No. 937. On the morning of 10th June, 1982 Shri B. J. Mohan Reddy, accompanied by Gun-man, was going to Hanamkonda on his scooter. At about 0700 hrs when they reached near the out-skirts, they were ambushed by Shri Nakka Mohan and about 20 others of R.Y.L. COC with bombs and country made Pistols from behind the bushes where they were hiding and waiting. Shri Pramala Yesu Ratnam asked Shri Reddy to stop the vehicle and they got-down. In order to save the target and in disregard to his personal safety, Shri Ratnam opened fire with his revolver on the assailant and withstood the attack by more than 20 assailants. When one of the assailants was about to fire with his shot-gun at Shri Reddy, Shri Ratnam fired at him as a result of which he fell down. The assailants fled away lifting the injured persons. Later on Shri Ratnam organised the villagers and chased the assailants but could not trace them. In the attack, both Shri Reddy and Shri Ratnam received injuries from fragments of the bombs.

Thus Shri Pramala Yesu Ratnam, Head Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th June, 1982.

No. 54-pres./83.—The President is pleased to award the president's police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh police:—

Names and Rank of the officers

Shri Rajpal Singh, Inspector of police : (*Posthumous*)
Incharge police Station Aliganj,
District Etah, Uttar Pradesh.

Shri Kamta Prasad Pande, : (*Posthumous*)
Sub-Inspector of Police,
Police Station Aliganj,
District Etah, Uttar Pradesh.

Shri Chhotey Lal, : (*Posthumous*)
Constable No. 217,
Civil Police P. S. Aliganj,
District Etah, Uttar Pradesh.

Shri Jagdish Prasad, : (*Posthumous*)
Constable No. 605,
Civil Police P. S. Aliganj,
District Etah, Uttar Pradesh.

Shri Bhikam Singh, : (*Posthumous*)
Constable No. 243 Civil Police,
P. S. Aliganj, Distt. Etah,
Uttar Pradesh.

Shri Amar Singh, (*Posthumous*)
Head Constable No. 21031 PAC,
XV Bn. PAC. Agra.

Shri Lala Ram, : (*Posthumous*)
Head Constable No. 21544 PAC,
XV Bn. PAC, Agra.

Shri Prem Narain Gautam, : (*Posthumous*)
Constable No. 21658 PAC,
XV Bn. PAC, Agra.

Shri Bas Deo, : (*Posthumous*)
Constable No. 21156 PAC,
XV Bn. PAC. Agra.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On the 7th August, 1981, Shri Rajpal Singh, Inspector of Police, visited Village Saria Aghat in connection with the investigation of a dacoity case. He received an information at the spot that members of the four notorious gangs had assembled in village Pardhanpur and were planning to commit a dacoity. Although he had a small posse of force at his disposal, he took no time in deciding to rush to the spot and face the gangsters before they could get time to escape.

At about 1400 hours when the police party consisting of Shri Kamta Prasad Pande, Sub-Inspector, Shri Chhotey Lal, Constable, Shri Jagdish Prasad, Constable, Shri Bhikam Singh, Constable, Shri Amar Singh, Head Constable, PAC, Shri Lala Ram Head Constable, PAC, Shri Prem Narain Gautam, Constable, PAC, and Shri Bas Deo, Constable, PAC, came at a place which was midway between Nadrala and Pardhanpur, the gangsters, about 40—45 in number, were seen moving away from the village. Shri Rajpal Singh challanged the dacoits who immediately answered by a heavy burst of fire. The gang increase its speed of retreat firing intermittently in order to keep the police force at bay. Undeterred by the heavy firing of a formidable number of dacoits who were armed with sophisticated weapons, Shri Rajpal Singh, Inspector, kept up the chase. Sensing a determined pursuit, the dacoits run for shelter towards Nagla Param, Shri Rajpal Singh, Inspector, directed Shri Kamta Prasad Pande, Sub-Inspector, alongwith other members of his party to take position on a roof top in village Nathuapur from where the police party could direct a steady fire on the fleeing dacoits. With the increase range between the police party and the gang of dacoits, Shri Rajpal Singh, Inspetcor, decided to come down from the roof top and resume advance. As soon as the police party including Shri Kamta Prasad Pande, Shri Chhotey Lal, Shri Jagdish Prasad, Shri Bhikam Singh, Shri Amar Singh, Shri Lala Ram, Shri Prem Narain Gautam and Shri Bas Deo crossed Mithoo Singh's grove, it had to face a heavy burst of fire from the dacoits who were in ambush nearby. In this exchange of fire Constable Rakesh Kumar of PAC received a bullet injury in the initial stages of the encounter and was shifted for medical treatment. Shri Rajpal Singh, Inspector, once again encouraged his men and they resumed the chase. He directed a party of Sub-Inspectors and Constables to move towards the south eastern direction while he himself with a handful of gallant jawans crawled and occupied a position behind the cover of tall grass. From this position, the police fire proved so effective that three dacoits were killed at the spot while the fourth was injured. Realising that further retreat would mean more loss of hands, the dacoits increased the volume of fire. They launched a desperate assault and opened fire simultaneously from all types of sophisticated weapons. As ill luck would have it, a group of dacoits got an advantageous cover on a slightly elevated grounds from where they could spot the police without exposing themselves directly to the police force. The dacoits exploited this favourable opportunity and a last ditch battle ensued. In this gallant encounter the entire police party headed by Shri Rajpal Singh, Inspector, consisting of eight other officers and men were killed at the spot.

In the encounter with the dacoits Shri Rajpal Singh, Inspector, Shri Kamta Prasad Pande, Sub-Inspector, Shri Chhotey Lal, Constable, Shri Jagdish Prasad, Constable, Shri Bhikam Singh, Constable, Shri Amar Singh, Head Constable, PAC, Shri Lala Ram, Head Constable, PAC, Shri Prem Narain Gautam, Constable, PAC, and Shri Bas Deo, Constable, PAC, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th August ,1981.

No. 55-pres/83.—The president is pleased to award the president's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh police :—

Name and rank of the officer

Shri Dhruv Lal Yadava,
Sub-Inspector of police,
Station Officer, Kalpi,
District Jalaun,
Uttar Pradesh

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 31st March, 1981, Shri Dhruv Lal Yadava Station Officer, Kalpi, received information about the presence of a gang of dacoits in village Suroli in the house of Matadin, PS Kalpi, Distt. Jalaun. He immediately collected police and PAC force and reached the spot. He divided the entire force into three parties and after verifying the presence of dacoits, he surrounded the house of Matadin. He challenged the dacoits to surrender but the dacoits responded by opening heavy fire. Shri Dhruv Lal Yadava, in utter disregard to his personal safety, crawled and approached very close to the place from where the dacoits were firing and started firing heavily on the dacoits. The dacoits also continued to fire and tried to run away by jumping from the other side of the house. Shri Dhruv Lal Yadava also jumped swiftly and lost no time in attacking the dacoits in a courageous and planned manner. He was successful in shooting down all the three dacoits in the house in the face of heavy fire from the side of the dacoits. The killed dacoits were later on identified as (1) Sobaran Singh, (2) Laltoo Dhobi and (3) Ram Shanker.

Shri Dhruv Lal Yadava also collected further intelligence about the presence of the remaining part of Phoolan Devi/Man Singh gang in village Guloli in the house of Shri Baura. He promptly passed on the information to Shri Uma Shanker Bajpai, Supdt. of police, Jalaun. He kept the village Guloli surrounded in a very strategic manner with a view to preventing escape of any dacoit. He continued to hold this cordon under his leadership till Shri Bajpai reached the spot and re-inforced the deployment. Shri Dhruv Lal Yadava accompanied the remaining raiding party of Shri Bajpai and entered the house of Shri Baura alongwith Shri Bajpai. He did not loss heart even after his fellow officers were injured and instead acted in a very brave and courageous manner. He climbed the roof of the house alongwith Shri Bajpai and maintained continuous pressure of firing on the door of the room from where the dacoits were firing. As a result of heavy firing two dacoits namely Prince and Jagan were killed.

In the encounter with the gang of dacoits, Shri Dhruv Lal Yadava, exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage, leadership and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st March, 1981.

No. 65-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Rualchhinga,
Sub-Inspector of Police,
P. S. Hnahthial,
District Lunglei.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 11th November, 1982 Shri Rualchhinga, Sub-Inspector of Police, received information that two armed hostiles (MNF) were hiding in the general area of Totland/Hmunte/Mualthuam village. The hostiles had been assigned the task of executing the Quit Notices served on the People Conference party leaders and particularly MLA and VC members etc., who were directed to resign from their posts by the outlawed MNF. Shri Rualchhinga organised a raiding party and proceeded towards Mualthum village where the two hostiles were hiding. On seeing the police party coming towards their hideouts, the hostiles took position at a strategic point and opened fire on the police party. Shri Rualchhinga and other members of the police party took a defensive position and returned the fire in self defence as well as in a bid to capture the hostiles. The exchange of fire continued for a few minutes. Shri Rualchhinga and party kept on coming to the close distance by crawling and taking defensive positions. When they reached a very close distance, Shri Rualchhinga, alongwith the police party charged towards the hostiles, who were reloading their weapons in order to open fire on the police party. Shri Rualchhinga jumped up on the hostile SS 2nd Lt. Hmunhranga and disarmed him and in the meanwhile other members of the police party fully overpowered the said hostile. The other hostile got demoralised due to sudden attack by the police party and escaped into the thick jungle leaving his .303 rifle on the spot.

In the encounter with the MLF hostiles, Shri Rualchhinga exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible unde rule 5, with effect from the 11th November, 1982.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President.

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES
(DEPARTMENT OF FOOD)

New Delhi, the 18th June 1983

RESOLUTION

No. E-11011/3/83-Hindi.—In supersession of Resolution No. E-11011/23/80-Hindi, dated the 3rd August, 1981 and subsequent Resolutions issued by the erstwhile Ministry of Civil Supplies, the Government of India have decided to constitute a Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Food & Civil Supplies. The composition and the functions of the new Samiti will be as follows :—

Chairman

1. Minister of Food & Civil Supplies.

Members of Lok Sabha

Members

2. Shri Daya Ram Shakya, Member of Parliament.
3. Shri Ram Kumar Meena, Member of Parliament.

Members of Rajya Sabha

Members

4. Shri J. K. Jain, Member of Parliament.
5. Shri Sushil Chand Mohanta, Member of Parliament.

Representatives of the Committee of Parliament on Official Language

Members

6. To be nominated by the Department of Official Language.
7. To be nominated by the Department of Official Language.

Representatives from Voluntary Organisations etc.

Members

8. Smt. Induja Avasthi, Professor and Head of Hindi Department, Delhi University.
9. Smt. Mridula Garg, C-1/9, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016.
10. Shri Humanshu Joshi, Journalist, Hindustan Saptahik, New Delhi.
11. Shri Kanhiya Lal 'Nandan', Editor, Dinman.
12. Smt. Manuhari Pathak, Journalist, 'Navjyoti'.
13. Shri Gangasharan Singh, President, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh.

14. Shri M. K. Velayudhan Nair, Secretary, Kerala Hindi Prashar Sabha.

15. President, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi.

Officials

Members

16. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India.

17. Joint Secretary, Department of Official Language.

Officials of the Department of Food

Members

18. Secretary, Food.

19. Additional Secretary, Department of Food.

20. Chief Director, Directorate of Sugar.

21. Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.

22. Managing Director, Central Warehousing Corporation, New Delhi.

23 Managing Director, Modern Food Industries (I) Ltd., New Delhi.

Member-Secretary

24. Joint Secretary (Incharge of Hindi), Department of Food.

Officials of the Department of Civil Supplies

Members

25. Secretary, Department of Civil Supplies.

26. Joint Secretary (Incharge of Hindi), Department of Civil Supplies.

27. General Manager, Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

28. Chief Director, Vanaspati, Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, New Delhi.

29. Managing Director National Consumers Cooperative Federation Ltd., New Delhi.

30. General Manager, Indian Standard Institution.

31. Joint Secretary, Incharge, Weight and Measures, Department of Civil Supplies.

II. *Functions of the Samiti*

The Samiti would render advice to the Ministry of Food & Civil Supplies and its attached and subordinate offices etc. on the matters relating to progressive use of Hindi for official purposes and allied issues falling within the framework of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language).

III. *Tenure*

The term of the Samiti will remain the same as indicated in the Resolution No. E-11011/23/80-Hindi, dated 3-8-1981, issued by the formerly Ministry of Civil Supplies (now Department of Civil Supplies) provided that :—

(a) A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a Member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti;

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc, of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

IV. *General*

(i) The Samiti may coopt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees as may be considered necessary.

(ii) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. *Travelling and other allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-Committee of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts, Ministry of Food & Civil Supplies and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

H. D. BANSAL, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983